[2020] 12 एस. सी. आर 956

एम/एस। फर्टिको मार्केटिंग एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट □ल0 एवं अन्य।

बनाम्

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य आदि।

(आपरा□धिक अपील सं। 760-764 2020 आदि)

नवंबर 17, 2020

[ए. एम. खान□वलकर और बी. आर. गवई, न्यायमूर्तिगण]

दिल्ली □वशेष पु□लस स्थापना अ□धनियम, 1946:

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी0 आर0 गवई के द्वारा दिया गया था

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. ये सभी अपीलें सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के □वद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2019 को पारित □कया गया। संक्षेप में वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य ये निम्नानुसार हैंः

18 अक्टूबर 2007 को कोल इं□डया □ल□मटेड ने एक नई नीति की शुरूआत की थी।

जिसके तहत ईंधन आपूर्ति समझौते (जिसे इसके बाद 'एफ. एस. ए.' के रूप में संद□र्भत □कया गया है) को कोयला कंपनियों और कोयले के खरीदारों द्वारा □कया जाना आवश्यक था। उक्त नीति के अनुसरण में, 30 अप्रैल 2008 को एस. एल. पी. (□क□मनल) 8342-46 वर्ष 2019 से उत्पन्न अपीलों में अपीला□र्थयों एवं कोल इं□डया □ल□मटेड के बीच एक एफ. एस. ए. □कया गया था। 25 मार्च 2011 को, सी. बी. आई. द्वारा फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट □ल□मटेड के कारखाने परिसर में एक संयुक्त आकस्मिक छापेमारी की गई और यह पाया गया □क एफ. एस. ए. के तहत खरीदा गया कोयला काला बाजार में बेचा गया था। सी. बी. आई. ने आगे

पाया क्र सर्वोच्च न्यायालय की अज्ञात सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत के कारण केंद्र सरकार को 36.28 करोड़ का नुकसान हुआ। तदनुसार, 13 अप्रैल 2011 को सी. बी. आई. द्वारा उक्त मेसर्स फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अनिल कुमार अग्रवाल के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई। लिमिटेड और जिला उद्योग केंद्र (इसके बाद 'डी. आई. सी.' के रूप में संदर्भित), जिला चंदौली के अज्ञात अधिकारी, साथ ही उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अज्ञात अधिकारी भी।

3. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेन्टर (बाद में डी0आई0सी0 के रूप में संदर्भित), जिला-चन्दौली के अधिकारी साथ ही नार्थ कोल्ड फील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अधिकारी के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा-120(बी0)/420, भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) जो धारा 13 (1)(डी0) के साथ पढ़ा जाए, के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक एफ0आई0आर0 दर्ज की गई।

अन्वेषण के दौरान यह पाया गया क्र दो अधिकारी, डी0आई0सी0, चन्दौली के तत्कालीन महाप्रबंधक रामजी सिंह और डी0आई0सी0 के सहायक प्रबंधन योगेन्द्र नाथ पाण्डे भी साजिश के हिस्से थे। अन्वेषण से पता चला क्र इन दोनो अधिकारियों ने अपने पदों का दुरूपयोग करते हुए धोखाधड़ी और बेईमानी से अभियुक्त कंपनियों के काम करने की स्थितियों के बारे में गलत स्थिति रिपोर्ट भेजी और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए रियायती दर पर कोयला आपूर्ति हेतु नॉर्थ कोल्ड फील्ड लिमिटेड को प्रेरित क्रया।

4. सक्षम प्राधिकारी ने पी. सी. अधिनियम की धारा 19 के तहत 31 मई 2012 को दो लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। अपीलार्थियों के खिलाफ 31 मई 2012 को आई. पी. सी. की धारा 420, धारा 467, 468 और 471 के साथ पठित धारा 120बी के तहत आरोप पत्र दायर क्रया गया था। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के तहत याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

समन आदेश और परिणामी कार्यवाही के समक्ष लंबित।

□वशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सी. बी. आई. उच्च न्यायालय के □वद्वान एकल न्यायाधीश ने 24 फरवरी 2015 के अपने आदेश के माध्यम से निर्धारण के □लए निम्न□ल□खत चार प्रश्न तैयार □कएः

प्रश्न संख्या 1: - क्या इन मामलों में सी. बी. आई. द्वारा की गई जाँच अवैध है और डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 का पालन न करने के □लए अ□धकार क्षेत्र से बाहर है? यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव क्या है?

प्रश्न संख्या2-क्या मामले अत्य□धक हैं और □वशुद्ध रूप से उल्लंघन के आधार के रूप में मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति का अनुबंध (एफ. एस. ए.) और आपरा□धक अ□भयोजन रद्द □कये जाने के □लए उत्तरदायी हैं ?

प्रश्न संख्या 3-क्या सी. बी. आई. ने या□चकाकर्ताओं के □खलाफ आपरा□धक मुकदमा दायर करने में समानता के □सद्धांत का पालन नहीं □कया? यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है ?

प्रश्न संख्या 4-क्या एन. सी. एल. के अ□धकारियों/अ□धकारियों की अनुपस्थिति में, आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत आपरा□धक साजिश का आरोप लगाया जा सकता है ?

उपरोक्त प्रश्नों को तैयार करने के बाद, □वद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय में पाया है □क उक्त उच्च न्यायालय का एक अन्य एकल न्यायाधीश अदालत ने यह □वचार रखा है □क जब राज्य सरकार ने □कसी आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, तो यह निहित है □क जांच की अनुमति भी दी गई थी। □वद्वान एकल न्यायाधीश एक अन्य □वद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा □लए गए पहले के दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका □वचार था □क चूं□क वर्तमान मामले में, सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति/सहमति के बिना थी, इस□लए यह दिल्ली □वशेष पु□लस स्थापना अ□धनियम, 1946 (इसके बाद "डी. एस. पी. ई. अ□धनियम" के रूप में संद□र्भत) की धारा 6 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन था। इस□लए उनका □वचार था □क जांच में अंतर्निहित अ□धकार क्षेत्र की कमी के लाइलाज दोष थे। हालां□क, □वद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया □क चूं□क वह □वद्वान एकल न्यायाधीश के पहले के दृष्टिकोण से असहमत थे और चूं□क इस मुद्दे पर कोई बाध्यकारी □मसाल नहीं थी, इस□लए निर्णय के □लए खण्ड पीठ द्वारा प्रश्न संख्या 1 और 2 का उल्लेख करना उ□चत था। □वद्वान

एकल न्यायाधीश ने 24 फरवरी 2015 के अपने □यस्तृत आदेश के माध्यम से निम्न□ल□खित दो प्रश्नों को खंड पीठ को भेजाः

1. क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवक के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम, 1988 (1988 का 49) के तहत दंडनीय अपराधों के □लए निजी व्यक्तियों की सं□लप्तता वाले ऐसे मामलों की अन्वेषण, और ऊपर उल्लि□खत सभी या □कसी भी अपराध या अपराध के संबंध में प्रयास, उकसाना और साजिशें और लेन-देन के दौरान □कए गए □कसी अन्य अपराध या अपराध और राज्य सरकार के जी. ओ. के तहत समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराधों की जांच पूर्व अनुमति या राज्य सरकार के सहमति के बिना डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए सी. बी. आई. द्वारा की जा सकती है या नहीं ?

2. क्या डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की पूर्व सहमति का पूर्ण गैर-अनुपालन/अनुपस्थिति को धारा 197 के तहत अ□भयोजन मंजूरी प्रदान करके ठीक □कया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा भ्रस्टाचार अ□धनियम की धारा 19 के तहत या सक्षम प्रा□धकारी?

5. खण्ड पीठ बेंच ने अपने 6 जुलाई के फैसले और आदेश के माध्यम से संदर्भ का उत्तर निम्न□ल□खित शब्दों में दियाः

"इस□लए हमारे सवाल का जवाब नहीं है। 1 □क तब से मामले में उपलब्ध तथ्यों के गलत आधार पर तैयार □कए गए प्रश्न का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है □क सरकारी आदेश दिनांक 15.6.1989 जांच की अनुमति देता है। और यह वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने के □लए सी. बी. आई. द्वारा स्वतः संज्ञान लेने का मामला नहीं था। □वद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार □कया गया दूसरा प्रश्न इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बिना उत्तर दिए वापस कर दिया जाता है □क शपथ पत्र द्वारा राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं □कया गया था संदेह और साजिश उठाने के □लए कार्यवाही करने से पहले एकल न्यायाधीश इस संदर्भ में उत्तर दिए जाने वाले दूसरे प्रश्न के रूप में ऊपर देखा गया। तैयार □कए गए दोनों प्रश्नों के उपरोक्त उत्तरों के

साथ, संबंधित न्यायालय के समक्ष कागजात रखे जाने दें। कानून के अनुसार मामले में कार्यवाही "।

संदर्भ का जवाब दिए जाने के बाद मामला फिर से सामने आया।

विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने 17 अगस्त 2015 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा। उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2015 और 20 दिसंबर 2015 को याचिका दायर की। विद्वान न्यायाधीश ने 5 अप्रैल 2018 को निम्नलिखित प्रभाव से एक आदेश पारित किया:

"श्री पी. के. सिंह, विद्वान ए. जी. ए. प्रार्थना करते हैं और उन्हें उत्तरदायी सचिव के गृह विभाग के अधिसूचना दिनांक 15/6/1983 जो कि दिल्ली पुलिस विशेष प्रावधान अधिनियम के धारा 6 के संबंध में व्याख्यान और दायरे के संबंध में हलफनामा दायर करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाए।"

इस मामले को 18.04.2018 पर रखें।

6. 5 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार ने गृह सचिव और मैसर्स के माध्यम से विभिन्न हलफनामे दायर किए।

प्रधान सचिव, गृह। उक्त हलफनामों में राज्य सरकार द्वारा लिया गया रुख यह था कि 15 जून 1989 की अधिसूचना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (इसके बाद 'डी. एस. पी. ई.' के रूप में संदर्भित) के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को सहमति दी, इस शर्त के साथ कि बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों से संबंधित मामलों में कार्रवाई एवं कोई जांच नही की जाएगी। यह राज्य सरकार का रुख था कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति का प्रतिबंध केवल राज्य सरकार के नियंत्रण वाले लोक सेवकों के संबंध में सीमित था, न कि किसी निजी व्यक्ति के लिए। सरकार का यह भी रुख था कि अधिसूचना डी. एस. पी. ई. अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को अनुमति देती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिसूचना में उल्लिखित अपराधों की अन्वेषण करे। हालाँकि, यदि राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी लोक सेवक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिया गया था, तो अन्वेषण के लिए राज्य

सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार का आगे का रुख यह था क्र यदि राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, लेक्रन यदि आगे की अन्वेषण में उक्त अपराध में शाम्रल पाया जाता है, तो अन्वेषण के ल्रए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार ने हलफनामे में आगे कहा क्र जहां तक दो लोक सेवकों का संबंध है, अर्थात् श्री राम जी ल्संह, तत्कालीन महाप्रबंधक, डी. आई. सी., चंदौली और श्री योगेंद्र नाथ पांडे, सहायक प्रबंधक, डी. आई. सी., चंदौली, डी. एस. पी. ई. अ्धनियम की धारा 6 के तहत 7 ल्सतम्बर 2018 को मंजूरी दी गई थी।

सी. बी. आई. द्वारा 13 अप्रैल 2011 को आई. पी. सी. की धारा 120 बी और 420 और पी. सी. अ्धनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

7. ्यद्वत एकल न्यायाधीश ने आदेश के माध्यम से पाया क्र राज्य सरकार ने अ्धसूचना के माध्यम से दिनांक 7 ल्सतंबर 2018 को राज्य सरकार के दो लोक सेवकों के ख्लाफ, जिनके नाम अन्वेषण के दौरान सामने आए थे। कार्योतर सहमति प्रदान की थी। ्यद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया क्र दोनों लोक सेवको के ख्लाफ अपराधों के ल्लए सी. बी. आई. द्वारा अन्वेषण के ल्लए कार्योत्तर सहमति पर्याप्त थी। ऐसे लोक सेवको, जिनके नाम हालांक्र प्राथ्मिकी में नहीं पाए गए, लेक्रन आरोप पत्र में पाए गए। ्यद्वान एकल न्यायाधीश ने अ्भनिर्धारित क्रया क्र यदि उक्त लोक सेवकों के नाम प्राथ्मिकी नहीं हैं क्रन्तु अन्वेषण के दौरान यह बात सामने आई और आरोप पत्र राज्य सरकार के उक्त लोक सेवकों के ख्लाफ दायर की गई, अन्वेषण पूरी होने के बाद दी गई सहमति डी. एस. पी. ई. अ्धनियम की धारा 6 के तहत एक वैध सहमति होगी। ्यद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे पाया क्र सहमति का सवाल केवल उन लोक सेवकों द्वारा उठाया जा सकता है जिनका नाम प्राथ्मिकी में ल्लया गया है, न क्र निजी व्यक्तियों द्वारा, जो न्यायालय के समक्ष आए थे। इसल्लए ्यद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी या्चकाओं को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपीलें दायर क्रया गया।।

8. अपीला्र्थयों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा क्र राज्य सरकार के सहमति के अभाव में डी. एस. पी. ई. अ्धनियम की धारा 6 के तहत, डी. एस. पी. ई. (सी. बी.

आई.) के पास डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों को देखते हुए जांच करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है जैसा कि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 में देखा गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सहमति प्राप्त करने में विफलता मामले की जड़ तक जाएगी और पूरी अन्वेषण को दूषित कर देगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-निजी व्यक्तियों पर अपराधों का आई. पी. सी. की धारा 120 बी और 420 और धारा 13 (2) के तहत दंडनीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल लोक सेवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 120बी को लागू किया था, इसलिए अनिवार्य आवश्यकता यह है कि मस्तिस्क का पूर्व मिलन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 120बी के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा गया अपराध तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि लोक सेवक और निजी व्यक्तियों के बीच पूर्व सहमति न हो और इस तरह से प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक मामले में जांच जो निजी व्यक्ति और लोक सेवक के बीच साजिश से संबंधित है । इसकी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि डी0एस0पी0ई0 के अधिनियम के धारा 6 के तहत सहमति न हो।

वरीय अधिवक्ता मजबूती से इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुश्री मायावती बनाम् भारत संघ पर भरोसा करते हैं।

9. श्री अजीत कुमार सिन्हा, अभियुक्तों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, जो एसएलपी (सी. आर. एल.) नं. 8420-21 2019 मामले में उत्पन्न होने वाली अपीलों में लोक सेवक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया गया कि जहां तक अपीलकर्ताओं-लोक सेवकों का संबंध है, एक वैध सहमति के अभाव में, सी. बी. आई. इन शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती थी - उन्होंने प्रस्तुत किया कि कार्योतर सहमति जो 7 सितम्बर 2018 को स्वीकृत हुई वह पूर्व अनुमति प्राप्त करने की गलती को ठीक नही कर सकती। दोनो विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि किया गया कारवाई रद्द किये जाने लायक है।

10. श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 के तहत पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशिका है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में जब तक अपीलकर्ता यह इंगित नहीं करते हैं कि पूर्व सहमति प्राप्त नहीं करने की प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण, अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, तब तक अन्वेषण को दूषित नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां तक अपीलकर्ताओं-निजी व्यक्तियों का संबंध है, उक्त अपीलार्थियों की शिकायत पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि 15 जून, 1989 की अधिसूचना के अनुसार भ्रस्टाचार अधिनियम से उत्पन्न मामलों की अन्वेषण के लिए एक सामान्य सहमति दी गई है, जब तक कि यह राज्य सरकार के नियंत्रण में एक लोक सेवक से संबंधित न हो। जहाँ तक लोक सेवकों का संबंध है, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, 7 सितंबर 2018 को अन्वेषण पूरी होने के बाद सहमति दी गई है और इस तरह दोष, यदि कोई हो, ठीक हो जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, अपीलकर्ताओं-लोक सेवकों द्वारा उनके कारण हुए पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता के संबंध में कोई अभिवचन नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। 11. डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 5 और 6 को निम्नानुसार संदर्भित करना प्रासंगिक होगाः

5. अन्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार। – (1) केंद्र सरकार आदेश द्वारा किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र (रेलवे क्षेत्रों सहित) में विस्तार कर सकती है, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, में डी0एस0पी0ई0 के सदस्य धारा 3 के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अपराध या अपराधों के वर्गों की जांच के लिए विस्तार कर सकती है।

(2) जब उप-धारा (1) के तहत किसी आदेश द्वारा उक्त पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र हैं -

ऐसे किसी क्षेत्र में विस्तारित, उसका कोई सदस्य, इसके अधीन रहते हुए कोई भी आदेश जो केंद्र सरकार इस संबंध में दे सकती है, उस क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेगी और इस प्रकार ऐसे कार्यों का निर्वहन करते समय उस क्षेत्र के पुलिस बल का सदस्य

होना और शक्तियों, कार्यों और □शेषा□धकारों के साथ निहित होना और उस पु□लस बल से संबं□धत एक पु□लस अ□धकारी की देनदारियों के अधीन होना।

(3) जहां □कसी क्षेत्र के संबंध में उप-धारा (1) के तहत ऐसा कोई आदेश दिया जाता है, तो उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिल्ली □शेष पु□लस प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य उप-निरीक्षक के पद या उससे ऊपर का हो। केंद्र सरकार इस संबंध में जो भी आदेश दे सकती है, उसके अधीन रहते हुए उस क्षेत्र के पु□लस थाने के प्रभारी अ□धकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग □कया जाता है, तो यह समझा जाएगा □क वह पु□लस थाने का प्रभारी अ□धकारी है जो ऐसे अ□धकारी के कार्यों का निर्वहन क्षेत्रा□धकार की सीमाएँ के भीतर कर रहा है।

6. शक्तियों और अ□धकार क्षेत्र के प्रयोग के □लए राज्य सरकार की सहमति। - धारा 5 में निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा।

□कसी भी क्षेत्र में शक्तियों और अ□धकार क्षेत्र का प्रयोग करने के □लए स्थापना □कसी राज्य में, जो केंद्र शा□सत प्रदेश या रेलवे क्षेत्र नहीं है, उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना।

12. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 15 जून 1989 को जारी अ□धसूचना का उल्लेख करना प्रासं□गक होगा, जो इस प्रकार हैः इसके अंतर्गतः

"उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पु□लस) धारा-1

No.3442/VIII-1-84/88

लखनऊ, दिनांकः 15 जून, 1989

अ□धसूचना

दिल्ली की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसरण में □शेष पु□लस स्थापना अ□धनियम, 1946 (1946 का 25)के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अपराधों की अन्वेषण के □लए पूरे उत्तर

प्रदेश राज्य में दिल्ली □वशेष पु□लस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अ□धकार क्षेत्र के □वस्तार के □लए सहमति व्यक्त की है।

भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम, 1988 (1988 का 49) के तहत दंडनीय, और ऊपर व□र्णत सभी या □कसी भी अपराध या अपराध के संबंध में प्रयास, उकसाना और साजिशें और लेन-देन के दौरान □कए गए और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले □कसी अन्य अपराध या अपराध, हालां□क इस शर्त के अधीन □क राज्य सरकार के पुर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार के लोक सेवकों से संबं□धत मामलों में ऐसी कोई अन्वेषण नहीं की जाएगी,

सरकार के नाम से आदेश द्वारा।

एसडी /

(एस. के. त्रिपाठी)

सरकार के □लए गृह स□चव

उत्तर प्रदेश का "

13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है □क उत्तर प्रदेश राज्य ने भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम, 1988 के तहत अपराधों की अन्वेषण के □लए पूरे उत्तर प्रदेश में डी. एस. पी. ई. के सदस्यों की शक्तियों और अ□धकार क्षेत्र के □वस्तार के □लए सामान्य सहमति प्रदान की गई और लेनदेन के दौरान □कए गए सभी या □कसी भी अपराध या अपराध के संबंध में प्रयास, उकसाने और साजिशें और समान तथ्यों से उत्पन्न हुए। तथा□प, एक शर्त यह है □क राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों से संबं□धत मामलों में ऐसी कोई अन्वेषण राज्य सरकार के पुर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। जहां तक निजी व्यक्तियों का संबंध है, उनके □खलाफ प्राथ□मकी दर्ज करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है क्यों□क 15 जून 1989 के अ□धसूचना के अनुसार डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत □कसी □वशिष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ने एक सामान्य सहमति प्रदान की है, जिससे डी. एस. पी. ई. के सदस्य भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम, 1988 के तहत अपराधों की अन्वेषण के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों और अ□धकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे और एक ही लेन-देन के दौरान □कए गए सभी या □कसी भी अपराध या अपराध के □लए।

एक ही तथ्यों से। इस प्रकार, निजी के □खलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के □लए। भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम के तहत दंडनीय अपराधों और आई. पी. सी. के तहत अन्य अपराधों के □लए, एक ही लेनदेन के दौरान □कए गए या एक ही तथ्यों से उत्पन्न होने के □लए, डी. एस. पी. ई. के सदस्यों के पास सभी शक्तियां और अ□धकार क्षेत्र हैं। इस प्रकार, हम निजी व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों में बिल्कुल कोई गुण नहीं पाते हैं।

14. जहां तक दो लोक सेवकों का संबंध है जो निस्संदेह राज्य सरकार के तहत काम कर रहे हैं । शुरूआत में एफ. आई. आर. में नाम नहीं थे। हालाँ□क, अन्वेषण के दौरान उनके नाम सामने आए और इस प्रकार आरोप पत्र दा□खल करने से पहले 31 मई 2012 के आदेश के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम की धारा 19 के तहत उनके □खलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। यह भी □ववाद में नहीं है □क राज्य सरकार द्वारा 7 □सतंबर 2018 की अ□धसूचना के माध्यम से डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत अ□धकारियों को लोक सेवकों की अन्वेषण करने के □लए वास्त□वक सहमति दी गई थी।

15. 1955 में ही इस न्यायालय के समक्ष □वचार के □लए सवाल उठा था □क क्या □कसी पु□लस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पु□लस अ□धकारी द्वारा की गई अन्वेषण , भ्रष्टाचार निवारण अ□धनियम, 1947 की धारा 5 (4) के तहत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अनिवार्य या नि□र्देशका थी? यह अ□भनि□र्धारित करते हुए □क प्रावधान अनिवार्य है, इस न्यायालय ने एक प्रश्न पर □वचार □कया □क क्या और □कस हद तक, इस तरह की अन्वेषण के बाद होने वाले मुकदमे को दू□षत □कया जा सकता है। न्यायालय, एच. एन. रिशबुद और इंदर □सं□ह बनाम दिल्ली राज्य ', के बाद में नि□म्न□लि□खत रूप में मनाया गयाः

" यदि, इस□लए, वास्तव में, एक पु□लस रिपोर्ट पर संज्ञान □लया जाता है, जो संबं□धत अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन से दू□षत होती है अन्वेषण, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है □क उसके बाद आने वाले मुकदमे के परिणाम को तब तक दर□कनार नहीं □कया जा सकता जब तक □क मामले में अवैधता न हो। अन्वेषण से पता चल सकता है □क यह न्याय की □वफलता। यह □क अन्वेषण के दौरान की गई अवैधता परीक्षण के □लए न्यायालय की क्षमता और अ□धकार क्षेत्र को प्रभा□वत नहीं करती है, जैसा □क प्रतीत होता है, अच्छी तरह से तय □कया गया है।

प्रभु बनाम सम्राट आकाशवाणी के बाद में 1944 पी. सी. 73और लुम्बरदार जुत्शी बनाम द क्रंग एयर 1950 पीसी 26. इनमें कोई संदेह नहीं है क्र ये ग्रफ्तारी की अवैधता से संबंधत हैं अन्वेषण जबक्र हम वर्तमान मामलों में संग्रह के लए मशीनरी के संदर्भ में अवैधता के साथ घंतित हैं । मामले स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं क्र अन्वेषण की अयोग्यता का न्यायालय की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। इसलए, हमारी स्पष्ट रूप से यह भी राय है क्र जहां मामले का संज्ञान वास्तव में लया गया है और मामला समाप्त होने के लए आगे बढ़ा है। , पूर्ववर्ती अन्वेषण की अयोग्यता परिणाम को दूषत नहीं करती है, जब तक क्र इसके कारण न्याय की वफलता नहीं हुई है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है क्र इस न्यायालय ने अभनिर्धारित क्रया है क्र संज्ञान और मुकदमे को तब तक दरक्रनार नहीं क्रया जा सकता जब तक क्र अन्वेषण में अवैधता न हो। यह दिखाया जा सकता है क्र इससे न्याय की वफलता हुई है। यह अभनिर्धारित क्रया गया है क्र अवैधता का पूर्वाग्रह या न्याय की वफलता के प्रश्न पर प्रभाव पड़ सकता है, लेक्रन जाँच की अयोग्यता का न्यायालय की क्षमता से कोई संबंध नहीं है।

16. सी0आर0पी0सी0 की धारा 465 के प्रावधानों पर वचार करते हुएःकर्नाटक राज्य बनाम् कुपुस्वामी गोंडर और अन्य वाद मे इस न्यायालय की टिप्पणयों पर ध्यान देना उचत होगा।

14. हालांक्र, उच्च न्यायालय ने कहा क्र इस मुकदमे को नयमत करने के लए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के प्रावधानों का उपयोग नहीं क्रया जा सकता है। इस निष्कर्ष के लए कोई कारण नहीं बताया गया है। धारा 465 सी. आर. पी. सी. निम्नानुसार हैः

"त्रुटि, चूक या अनियमतता के कारण प्रतिवर्ती होने पर वाक्य खोजना या प्राप्त करना। -

(1) यहाँ पहले निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सक्षम क्षेत्राधकार के क्रसी न्यायालय द्वारा पारित क्रसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को शकायत, समन, वारंट, घोषणा, आदेश, निर्णय या मुकदमे से पहले या उसके दौरान या इस संहिता के तहत क्रसी भी जांच या अन्य कार्यवाही में क्रसी भी त्रुटि, चूक या अनियमतता के कारण अपील, पुष्टि या संशोधन की अदालत द्वारा उलट या बदला नहीं जाएगा, या अभयोजन के लए क्रसी भी मंजूरी में कोई

त्रुटि या अनियमितता, जब तक कि उस अदालत की राय में, न्याय की विफलता वास्तव में इसका अवसर दिया गया था।

(2) यह निर्धारित करने में कि क्या इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही में कोई त्रुटि, चूक या कोई अनियमितता है, या कोई अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी मंजूरी में त्रुटि या अनियमितता ने न्याय की विफलता का कारण बना है, अदालत को इस तथ्य पर विचार करना होगा कि क्या आपत्ति कार्यवाही के शुरुआती चरण में उठाई जा सकती थी और होनी चाहिए थी। यह प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा पारित किसी निष्कर्ष या सजा को केवल अनियमितता के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है यदि आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यह विवादित नहीं है कि यह प्रश्न न तो अभियुक्त द्वारा मुकदमे में उठाया गया था और न ही मुकदमे में या अपीलीय स्तर पर कोई पूर्वाग्रह का अनुरोध किया गया था और इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह के अभाव में ऐसी तकनीकी आपत्ति सक्षम अदालत द्वारा पारित आदेश या सजा को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 465 के अलावा, धारा 462 मुकदमे के मामलों में उपचार का प्रावधान करती है।

धारा 462 निम्नानुसार हैः

"462. गलत जगह पर कार्यवाही। - किसी भी आपराधिक न्यायालय के किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि जिस जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान यह किया गया था या पारित किया गया था, वह गलत सत्र प्रभाग, जिला, उप-प्रभाग में हुआ था या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुआ था, जब तक कि यह प्रतीत न हो कि ऐसी त्रुटि है से वास्तव में न्याय की विफलता हुई। "

यह प्रावधान एक निर्णय को भी बचाता है यदि मुकदमा किसी गलत सत्र प्रभाग या उप-प्रभाग या किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुआ है और ऐसी त्रुटि का कुछ परिणाम तभी हो सकता है जब इसका परिणाम न्याय की विफलता में हो, अन्यथा नहीं।

निष्कर्ष या सजा को केवल इसके आधार पर अलग रखा जा सकता है।

17. यह न्यायालय, भारत संघ बनाम प्रकाश नंदुजा और एक अन्य के मामले में, इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए इस प्रकार कहा हैः

"21. ..... न्यायालय ने प्रभु बनाम सम्राट ए. आई. आर. 1944 एस. सी. 73 और लुम्बरदार जुत्शी बनाम राजा ए. आई. आर. 1950 पी. सी. 26 में अभिनिर्धारित किया कि यदि वास्तव में संबंधित न्यायालय द्वारा अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन द्वारा शुरू की गई पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है।

जाँच के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुकदमे के परिणाम, जो इसके बाद आता है, को तब तक दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्वेषण में अवैधता को न्याय की विफलता के बारे में नहीं दिखाया जा सकता है और यह कि न्याय में की गई अवैधता

अन्वेषण की प्रक्रिया मुकदमे के लिए न्यायालय की क्षमता और अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है। यह कानूनी स्थिति होने के कारण, यह मानते हुए भी कि सी. बी. आई. ने सी. वी. सी. की मंजूरी के बिना आरोप पत्र जमा करने में कोई त्रुटि या अनियमितता की है, इस तरह के आरोप पत्र के आधार पर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया।

इसको अलग नहीं किया जा सकता था और न ही आगे की कार्यवाही की जा सकती थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से विद्वान विशेष न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करने में त्रुटि तथा

अपराध का संज्ञान लेना और आगे रद्द करना मामले की कार्यवाही।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस तर्क के लिए भी कि सी. बी. आई. ने वाद प्रस्तुत करने में त्रुटि या अनियमितता की थी।

सी. वी. सी. की मंजूरी के बिना आरोप-पत्र, ऐसे आरोप-पत्र के आधार पर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान, दरकिनार नहीं किया जाएगा और न ही उसके अनुसरण में आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

निरस्त कर दिया गया।

18. हाल ही में, हममें से एक (न्यायमूर्ति खानविलकर) की इस न्यायालय की पीठ को कंवल तनुज बनाम बिहार राज्य तथा अन्य के मामले में । डी. एस. पी. ई. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। " उक्त मामले में यह सवाल उठा कि क्या अपराध कब किया गया था

केंद्र शा□सत प्रदेश में और अ□भयुक्तों में से एक उक्त केंद्र शा□सत प्रदेश के बाहर □कसी अन्य राज्य में रह रहा था/कार्यरत था, डी. एस. पी. ई. के सदस्यों को इसकी जांच करने की शक्ति थी, जब तक □क डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत संबं□धत राज्य द्वारा कोई □व□शष्ट सहमति नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से तर्क यह था □क चूं□क अपीलार्थी बिहार सरकार के मामलों के संबंध में कार्यरत था, इस□लए अन्वेषण की अनुमति नहीं थी, जब तक □क डी. एस. पी. ई. की धारा 6 के तहत बिहार राज्य की एक □व□शष्ट सहमति न हो। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया □क यदि अपराध दिल्ली में □कया गया है, केवल इस□लए □क उक्त अपराध की जांच संयोग से बिहार राज्य क्षेत्र से परे है, तो यह नहीं माना जा सकता है □क बिहार राज्य क्षेत्र में कार्यरत अ□धकारी के □खलाफ अन्वेषण के □लए-बिहार को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक □क डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत □व□शष्ट सहमति न हो। अपनी ओर से तर्क पर □वचार करते हुए राज्य की, □क अन्वेषण के साथ आगे बढ़ने के □लए सी. बी. आई. के □लए ऐसी सहमति आवश्यक थी, इस न्यायालय ने अ□भनिर्धारित □कया □क प्रतिवादी-राज्य ने अ□धसूचना के माध्यम से डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के संदर्भ में सामान्य सहमति प्रदान की है। दिनांक 19.02.1996, राज्य के □लए इसके □वपरीत बहस करने के □लए खुला नहीं था।

19. वर्तमान मामले में, लोक सेवकों द्वारा डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत पूर्व सहमति प्राप्त न करने के कारण उनके प्रति हुए पूर्वाग्रह के संबंध में कोई अ□भवचन नहीं है।

□वशेष रूप से लागू सामान्य सहमति के अलावा, न ही न्याय के अहित के संबंध में।

20. जहाँ तक 'मायवती' (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता की बात है, एकमात्र सवाल जो पहले □वचार के □लए था। यह न्यायालय इस बारे में था □क क्या इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में से कोई भी 1995 से 2003 तक या□चकाकर्ता के आचरण के □खलाफ अन्वेषण करने के □लए सी. बी. आई. को कोई निर्देश जारी करने के बराबर है या क्या निर्देश ताज कॉरिडोर मामले में अनिय□मतताओं तक ही सी□मत थे। न्यायालय ने तथ्यों में पाया □क इस न्यायालय द्वारा इस मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई थी 11

□सतंबर 2003 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर या□घकाकर्ता की आय से अ□धक संप□ा और वास्तव में, या□घकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष भी नहीं था।

21. परिणामस्वरूप, हम राज्य की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं करने के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

डी. एस. पी. ई. अ□धनियम की धारा 6 के तहत सरकार।

23. इस□लए हम प्रश्न संख्या 2, 3 तथा 4 को अपने गुण पर तय करने के □लए मामले को □घद्वान एकल न्यायाधीश को भेजते हैं।

24. आपरा□धक अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर □कया जाता है। तदनुसार, सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील का निष्पादन □कया गया।